कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक–: पीएमजीएसवाई/2019–20/डी–4325 दिनांकः 24/04/19

परिपत्र 02/2019-20

विषयः–14 वी विधानसभा की जन लेखा समिति वर्ष 2018–19 के 265 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या-5 के कियान्वयन बाबत्।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा निर्देश के अनुच्छेद 4.1 में प्रावधान है कि कार्यक्रम के उद्देश्यो को व्यवस्थित और प्रभावी लागत से प्राप्त करने हेतु समुचित कार्य योजना आवश्यक है, अनुच्छेद 11.5 में प्रावधान है कि उन मामलों मे जहॉ सविंदा की लागत ग्रामीण विकास मत्रांलय द्वारा स्वीकृत किये गये अनुमानो से अधिक है, राज्य के लिए एक फेज/बेंच मे स्वीकृत किये गये कार्यो पर समग्र अंतर (टेंडर प्रीमियम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावें।

अतः 14 वी विधानसभा की जन लेखा समिति वर्ष 2018–19 के 265 वें प्रतिवेदन (सीएजी प्रतिवेदन 2015–16 आर्थिक क्षेत्र अनुच्छेद संख्या 3.8) की सिफारिश संख्या 5–(प्रतिलिपि संलग्न) का कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में ही सडक का सही सर्वे कर एवं लागत को प्रभावित करने वाले समस्त बिन्दुओं का समावेश कर डीपीआर तैयार की जावे। ताकि भविष्य में डीपीआर की लागत मे बदलाव न हो।

उपरोक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे।

24/4/19

(सुनील कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता, (पीएमजीएसवाई)

क्रमांक–: पीएमजीएसवाई/2019–20/डी– दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग – .....(समस्त)
2.अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त – .....(समस्त)
3.अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड – .....(समस्त)

24/4/19

मुख्य अभियन्ता, (पीएमजीएसवाई)